



RAS

राजस्थान प्रशासनिक सेवा

पेपर - III || भाग - III

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध
और
नीतिशास्त्र



अन्तर्राष्ट्रीय संबंध

1. शीत युद्धोत्तर	1
2. संयुक्त राष्ट्र संघ	7
3. अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन व संधियाँ	21
4. भारत की विदेश नीति	27
5. भारत—यू.एस.ए. संबंध	36
6. भारत—चीन संबंध	49
7. भारत—रूस संबंध	63
8. यूरोपीय संघ	69
9. गुट निरपेक्ष आन्दोलन (NAM)	76
10. Brics	79
11. G-77	85
12. सार्क	86
13. आसियान	91
14. भारत—श्रीलंका संबंध	104
15. भारत—अफगानिस्तान संबंध	108
16. भारत— बांग्लादेश संबंध	111
17. भारत— मालदीव संबंध	116
18. भारत— नेपाल संबंध	118
19. पश्चिमी एशिया	122
20. दक्षिणी—पूर्वी एशिया	133
21. भारत फ्रांस संबंध	136
22. भारत— जर्मनी संबंध	139

नीति शास्त्र

1. परिभाषा	141
2. मूल्य	142
3. सामाजिकरण	144
4. आयाम	150
5. पश्चिमी विचारक	152
6. नैतिकता के पूर्व मान्यताएं	161
7. विकासवाद	163
8. आत्मपूर्णतावाद	165
9. अस्तित्ववाद	168
10. ताओवाद	169
11. भारतीय विचारक	172
12. भगवत् गीता	181
13. स्थित प्रज्ञ	184
14. योग विचार	186
15. नैतिक संप्रत्यय	192
16. निजी और सार्वजनिक जीवन में नीतिशास्त्र	199
17. भारतीय प्रशासकीय तंत्र की समस्याएं	204
18. भावनात्मक बुद्धिमता	206

अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

1. शीत युद्धोत्तर दौर में उदीयमान विश्व व्यवस्था, संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्चस्व एवं इसका प्रतिरोध

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद द्वि-ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की स्थापना हुई जिसमें अमेरिका एवं सोवियत संघ दो महाशक्तियों का उदय हुआ। लेकिन 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद अमेरिका एकमात्र महाशक्ति रह गई। शीत युद्ध का प्रतीक रही बर्लिन की दीवार 1989 में गिरा दी गई और समतामयिक विश्व में नई विश्व व्यवस्था एक ध्रुवीय हो गई। शीत युद्ध के अंत ने अमेरिका को इकलौती महाशक्ति बना दिया। यह एक ध्रुवीय विश्व अमेरिका द्वारा संचालित था। अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ताकत का एक ही केन्द्र हो तो इसे 'वर्चस्व' शब्द के इस्तेमाल से वर्णित करना ज्यादा उचित होगा। इस प्रकार सन् 1991 के बाद के काल को अमेरिकी वर्चस्व दौर कहा जाता है।

वर्चस्व:- वर्चस्व का अर्थ किसी एक देश की अगुआई या प्राबल्य है। वर्चस्वशील देश की सैन्य शक्ति अजेय होती है। इस शब्द का प्रयोग प्राचीन यूनान में एथेंस की प्रधानता को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। अर्थात् जब अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का केन्द्र एक हो तो उसे वर्चस्व नाम देना उचित होगा।

विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व की अभिव्यक्ति निम्नलिखित प्रमुख घटनाओं एवं प्रवृत्तियों में होती है।

अमेरिकी वर्चस्व का इतिहास कोई नया नहीं है। सोवियत विभाजन से पहले भी अमेरिका के द्वारा विश्व परिदृश्य पर अनेक ऐसे कदम उठाए गए थे जो उसके वर्चस्व को दर्शाते हैं।

खाडी युद्ध:- कुवैत तेल उत्पादक देश है कुवैत के तेल ईंधन पर कब्जा करने के लिए 2 अगस्त 1990 में इसक ने कुवैत पर हमला किया और बड़ी तेजी से उस पर कब्जा जमा लिया। इसक को समझाने-बुझाने की तमाम राजनयिक कोशिशें जब नाकाम रही तो संयुक्त राष्ट्रसंघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल-प्रयोग की अनुमति दे दी। अमेरिका इसक की सामरिक शक्ति को इस प्रकार घटाना व कमजोर करना चाहता था कि वह पश्चिम एशिया के किसी दूसरे राष्ट्र चुनौती देने की स्थिति में न रह पाए इसलिए 34 देशों की मिली-जुली 6,60,000 सैनिकों की भारी-भरकम फौज ने इसक के विरुद्ध मोर्चा खोला और उसे परास्त कर दिया। 17 जनवरी 1990 को बहुराष्ट्रीय लडाकू विमानों ने बगदाद पर भारी बमबारी की। इसक को चारों तरफ से घेरा गया। इसे प्रथम खाडी युद्ध कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस सैन्य अभियान को -'ऑपरेशन डेजर्ट स्टार्न' कहा जाता है। जो एक हद तक अमेरिकी सैन्य अभियान नहीं था। अमेरिकी जनरल नार्मन श्वार्जकॉव इस सैन्य अभियान के प्रमुख थे और 34 देशों की इस मिली जुली

सेना में 75 प्रतिशत सैनिक अमेरिका के ही थे। इसकी राष्ट्र सद्दाम हुसैन ने इसे 'दो जंगों की एक जंग' कहा।

प्रथम खाडी युद्ध से यह बात जाहिर हो गई कि बाकी देश सैन्य क्षमता के मामले में अमेरिका से बहुत पीछे हैं। इस मामले में प्रौद्योगिकी के घातल पर अमेरिका बहुत आगे निकल गया है। बड़े विज्ञापनी अंदाज में अमेरिका ने इस युद्ध में तथाकथित 'स्मार्ट बमों' का प्रयोग किया। इसके चलते कुछ पर्यवेक्षकों ने इसे 'कम्प्यूटर युद्ध' की संज्ञा दी।

खाडी युद्ध के बाद बदली परिस्थिति (अमेरिका वर्चस्व) की तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने 'नई विश्व व्यवस्था' की संज्ञा दी। बुश ने कहा कि इसको पूर्ण रूप से कुवैत से सेना हटानी होगी। परन्तु इसका इजराइल व सउदी अरब पर रकड प्रक्षेपात्रों से आक्रमण करता रहा। इस युद्ध की टीवी प्रोग्राम की तरह कवरेज की गई इसलिए इसे 'वीडियो वार गेम' भी कहा जाता है। युद्ध में अमेरिकी सफलता ने अमेरिका का वर्चस्व स्थापित किया।

क्लिंटन का दौर :- प्रथम खाडी युद्ध जीतने के बावजूद जॉर्ज बुश 1992 में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार विलियम जेफर्सन (बिल) क्लिंटन से राष्ट्रपति पद का चुनाव हार गए क्योंकि अमेरिकी कार्रवाई की आलोचना हुई। इसे अमेरिकी दादागिरी माना गया।

क्लिंटन के दौर से ऐसा जान पड़ता था कि अमेरिका ने अपने आप को घरेलू मामलों तक सीमित कर लिया है और विश्व के मामलों में उसकी भरपूर संलग्नता नहीं रही। विदेश नीति के मामले में क्लिंटन सरकार ने सैन्य शक्ति और सुरक्षा जैसी, कठोर राजनीति की जगह लोकतंत्र के बढ़ावे, जलवायु, परिवर्तन, तथा विश्व व्यापार जैसे नरम मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित किया। यद्यपि बिल क्लिंटन के काल में अमेरिकी वर्चस्व के कतिपय उदाहरण हैं:-

यूगोस्लाविया के विरुद्ध कार्रवाई 1999 में अपने प्रांत कोशोवों में यूगोस्लाविया ने अल्बानिया लोगो के आंदोलन को कुचलने के लिए सैन्य कार्रवाही की। इसके जवाब में अमेरिकी नेतृत्व में नाटों के देशों ने यूगोस्लाविया क्षेत्रों पर दो महीने तक बमबारी की। इससे कोशोवो में नाटों सेनाएं ठहरी और मिलोसेविच सरकार का पतन हुआ।

वर्तमान में यूगोस्लाविया नामक देश नहीं है। यह कई देशों में विभाजित हो चुका है। ये देश हैं-स्लोवेनिया, बोस्निया, हर्जोगोविना, क्रोएशिया, सर्बिया, मेशीडोनिया, मेटिनेग्रो एवं कोशोव।

केन्या :- 1998 में जब केन्या और दारे-शलाम तंजानिया में क्रमशः की दूतावासों पर बमबारी हुई तो आतंकवादी संगठन अलकायदा को जिम्मेदार मानते हुए अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान के अलकायदा के ठिकानों पर क्रूज मिशाइल से हमले किये। इस सैन्य कार्यवाही को 'ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच' का नाम दिया गया। यह कार्रवाई क्लिंटन के आदेश पर की गई। अमेरिका ने अपनी कार्यवाही के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति लेने या इस सिलसिले में अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों की पश्चाह नहीं की।

9/11 घटना-11 सितम्बर, 2001 के दिन विभिन्न अरब देशों के 19 अहतरणकर्ताओं ने उडान भरने के चंद मिनटों बाद चार अमरीकी व्यवसायिक विमानों पर कब्जा कर लिया। दो विमान न्यूयार्क स्थित 'वर्ल्ड ट्रेड सेंटर' के उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकराए तीसरा विमान विर्जिनिया के अर्लिंगटन स्थित पेंटागन से टकराया। पेंटागन में अमरीकी रक्षा-विभाग का मुख्यालय है चौथे विमान को अमेरिकी कांग्रेस की मुख्य इमारत से टकराना था। लेकिन वह पेन्सिलवेनिया के एक खेत में गिर गया। इस हमले में तीन हजार लोग मारे गए। इस हमले को "नाइन एलेवन(9/11)" कहा जाता है।

9/11 के जवाब में अमेरिका ने फौज कदम उठाये और भयंकर कार्यवाही की। जब क्लिंटन की जगह रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज डब्ल्यू बुश राष्ट्रपति थे। 'आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध' के रूप में अमरीका ने "ऑपरेशन एन्डयूरिंग फ्रीडम चलाया। इस अभियान में मुख्य निशाना अल-कायदा और अफगानिस्तान के तालिबान-शासन को बनाया गया। 2 मई 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी नौसेना की सील टीम ने "ऑपरेशन नेप्च्यून स्पीयर" नाम की सैन्य कार्यवाही में मार दिया गया। इस ऑपरेशन में प्रयुक्त कोड था-जेरोनिमो इकियो।

इराक पर आक्रमण :- सद्दाम हुसैन के तानाशाही शासन को समाप्त करने तथा सामूहिक संहार के हथियार बनाने से रोकने के लिए 19 मार्च, 2003 को अमेरिकी ने 'ऑपरेशन इराकी फ्रीडम' के कुटनाम से इराक पर हमला किया। अमेरिकी नेतृत्व वाले 'कॉअलिशन ऑफ विलिंग्स' (आकांक्षियों के गठजोड़) में 40 से ज्यादा देश शामिल हुए। सद्दाम हुसैन की तानाशाही सरकार अमेरिका के इराक हमले के पश्चात समाप्त हो गई परन्तु अमेरिका इराक को शांत नहीं कर पाया। इराक में अमेरिका के विरुद्ध एक पूर्णव्यापी विद्रोह भडक उठा। अमेरिका को संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक पर इस हमले की अनुमति नहीं दी थी। UNO ने ये कहा था कि सामूहिक संहार के हथियार (वीपेंस ऑफ मास डेस्ट्रक्शन) बनाने में सामूहिक संहार के हथियारों की मौजूदगी के कोई प्रमाण नहीं मिले इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हमले के मकसद कुछ और ही थे। जैसे इराक के तेल-भण्डार पर नियंत्रण स्थापित करना और इराक में अमरीकी की मनपसंद सरकार की स्थापना करना।

अमेरिकी वर्चस्व

अमेरिकी वर्चस्व का युग 1991 में सोवियत संघ के विघटन से शुरू होता है जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो दो महाशक्तियों में से अमेरिका ही मात्र महाशक्ति रह गया। अमेरिका अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ा था। वह सबसे बड़ी सैनिक ताकत थी। यही वर्चस्व है। वर्चस्व शब्द प्राचीन यूनान से लिया गया। इसके लिए “हेगमनी” शब्द का प्रयोग किया गया। “हेगमनी” का अर्थ पहले राज्यों के बीच सैन्य क्षमता की बनावट और तैल से होता है। इसका अर्थ किसी एक राज्य के नेतृत्व व प्रभुत्व से लिया जाता है। अतः अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में यदि ताकत का केन्द्र एक ही हो तो उसे हेगमनी या वर्चस्व कहते हैं। अमेरिका के लिए यह शब्द सैन्य प्रबल्य के लिए किया जाता है।

वर्चस्व के निम्नलिखित तीन अलग-अलग अर्थ हैं :-

1. सैनिक वर्चस्व:- अमेरिका की मौजूदा ताकत की रीढ़ उसकी बढी-चढी सैन्य शक्ति है। आज अमेरिका की सैन्य शक्ति अपने आप में बाकी देशों की तुलना में बहुत अधिक है। वह विश्व के किसी भी देश को अपनी अपूर्व सैन्य क्षमता एवं ताकत के बल पर निशाना बना सकता है। उदाहरण के तौर पर इसक पर हमला, अफगानिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमलों के कारण आम नागरिक भी इसकी चपेट से बच नहीं पाए तथा इन हमलों में कई अपंग भी हो गए।

2. ढांचागत ताकत के रूप में वर्चस्व :- वर्चस्व का यह अर्थ, इसके पहले अर्थ से बहुत अलग है। ढांचागत वर्चस्व का अर्थ है- वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी मर्जी चलाना तथा अपने उपयोग की चीजों को बनाना व बनाए रखना अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो यह स्पष्ट करते हैं कि अमेरिका का ढांचागत क्षेत्र में भी वर्चस्व कायम है। जैसे -छोटे-छोटे देशों में ऋणों में कटौती तथा उन पर अपनी बात मनवाने के लिए दबाव बनाना आदि। अमेरिका उसकी बात न मानने वाले देशों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाने में भी कामयाब रहता है।

3. सांस्कृतिक वर्चस्व-विश्व में दो प्रमुख विचारधाराएं रही हैं :- एक साम्यवादी विचारधारा व दूसरी पूंजीवादी विचारधारा। आज विश्व परिदृश्य पर नजर डाली जाए तो विश्व के अधिकतर देशों पर जबर्दस्ती पूंजीवादी विचारधारा थोप दी गई। अंतर्राष्ट्रीय मंच के माध्यम से अमेरिका यह स्पष्ट कर चुका है कि जो देश नई उदारिकरण व वैश्वीकरण की नीति को नहीं अपनाएगा, उन देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां निवेश

नहीं करेगा। विश्व अर्थव्यवस्था में अमेरिका की 28 प्रतिशत हिस्सेदारी है। विश्व व्यापार संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष एवं विश्व बैंक जैसी आर्थिक संस्थाओं में अमेरिका का वर्चस्व है।

अमेरिकी शक्ति (वर्चस्व) के स्रोतों में अवरोध: अमेरिका वर्चस्व के तीन अवरोध हैं

- a. अमेरिका की संस्थागत बनावट
- b. अमेरिका का उन्मुक्त समाज तथा जनसंचार के साधन
- c. नाटो सैनिक संगठन

a. अमेरिका की संस्थागत बनावट :- अमेरिका वर्चस्व में पहला व्यवधान स्वयं अमेरिकी संस्थागत बनावट है। यहाँ शक्तियों का विभाजन तीन अंगों में किया गया है। यह शक्ति विभाजन कार्यपालिका पर अंकुश लगाने का काम करती है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख है। यही बनावट कार्यपालिका द्वारा सैन्य शक्ति के बेलगाम इस्तेमाल पर अंकुश लगाने का काम करती है। इन तीनों अंगों का समय में संक्षम होना तथा एक दूसरे पर नियंत्रण लगाना, अमेरिका में शक्ति संतुलन का काम करता है।

b. अमेरिका का उन्मुक्त समाज तथा जनसंचार के साधन :- अमेरिकी समाज अपनी प्रकृति से उन्मुक्त है। राजनीतिक नेतृत्व द्वारा किसी कठोर कार्यवाही के लिए अमेरिकी नागरिकों को एकमत करना कठिन है। जनसंचार के साधनों पर निजी स्वामित्व होने से चाहे जनमत प्रभावित हो जाए, परन्तु अमेरिकी समाज की राजनीतिक संस्कृति में शासन के उद्देश्य और तरीकों को सदैव सदेह की दृष्टि से देखा जाता है। अमेरिका संक्षम होने पर भी सैन्य शक्ति का प्रयोग सीमित करता है क्योंकि जनता का विरोध विदेशी सैन्य अभियानों पर अंकुश लगाता है।

c. नाटो सैनिक संगठन :- अमेरिका के मित्र देशों का पश्चिमी गठबन्धन जिसकी राजनीति अमेरिका से प्रभावित है उसके साथ मित्रता बनाए रखना ही अमेरिका के लोकतांत्रिक हित को पुरा करता है। अमेरिका शक्ति में तीसरा बड़ा अवरोध नाटो ही है। नाटो में शामिल लोकतांत्रिक देश अमेरिका की शक्ति संयमित रखने के लिए नैतिक दबाव डालते हैं। अतः नाटो की अमेरिकी मित्र देश अपनी शक्ति बढ़ाते हुए अमेरिकी वर्चस्व की शक्ति पर अंकुश लगाते हैं।

इसके अतिरिक्त सत्ता के वैकल्पिक केन्द्र भी अमेरिकी वर्चस्व पर अंकुश लगाते हैं।

जैसे- अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, यूरोपीय संघ, चीन का तीव्र उभार, ब्रिक्स (ब्राजील, भारत, चीन एवं द. अफ्रीका का संगठन), एल्बा, आशियान, विश्व सामाजिक संघ।

CELAC (Community of Latin American and Carribean States) लैटिन अमेरिका एवं केरिबियाई देशो का समूह है। इसकी स्थापना 23 फरवरी 2010 को हुई इसमें 33 सदस्य देश हैं यह क्षेत्रीय समूह अमेरिकी वर्चस्व को चुनौति दे रहा है।

शब्दावली

द्विध्रुवीयता :- यह वह व्यवस्था है जिसमें विश्व दो गुटों में बंट गया। जैसे-द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात अमेरिका व सोवियत संघ के दो शक्तिगुट।

एकध्रुवीयता :- विश्व में केवल एक शक्ति का वर्चस्व होता है। जैसे वर्तमान में अमेरिका 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका ही विश्व में एकमात्र सैनिक, आर्थिक ताकत बन गया।

बहुध्रुवीयता :- शक्ति का दो से अधिक बड़ी शक्तियों में विभाजन

शॉक थेरेपी:- अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक द्वारा निर्देशित रूस, पूर्वी यूरोप तथा मध्य एशिया के देशों में पूंजीवाद की शीघ्र संक्रमण का एक विशेष मॉडल।

2. संयुक्त राष्ट्र संघ

(United Nation Organization)

- इसका विचार 1914 ई. में अटलांटिक चार्टर में रखा गया जिसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति (रूजवेल्ट) ने हस्ताक्षर किए।
- 26 जून 1945 ई. को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में UN चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए।
- यह चार्टर 24 अक्टूबर 1945 ई. को लागू हुआ जिसे UN का स्थापना दिवस कहा जाता है।
- शुरूआती सदस्य 51 थे और वर्तमान सदस्य 193 हैं।
- 30 अक्टूबर 1995 ई. को भारत UN में शामिल हुआ।
- UN की 6 आधिकारिक भाषाएँ हैं।

- | | |
|-------------|------------|
| 1. अंग्रेजी | 4. चीन |
| 2. फ्रेंच | 5. स्पेनिश |
| 3. रूसी | 6. अरबी |

मुख्यालय - न्यूयॉर्क

- 2001 ई. में UN को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया।

प्रथम विश्व युद्ध (1914-18) के बाद विश्व शांति स्थापित करने के प्रयास शुरू किये गए। अन्तर्राष्ट्रीय विवादों का हल आपसी बातचीत से निकालने और विश्व में युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से 1920 में वुडरो विल्सन के प्रयासों से वर्साय संधि के आधार पर राष्ट्र संघ (लीग ऑफ नेशन) की स्थापना की गई। वर्साय संधि के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने और शांति तथा सुरक्षा प्राप्त के लिये 1919 में ही राष्ट्र संघ की स्थापना की गई परन्तु 1 सितम्बर 1939 को दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध के दौरान अपार जन धन की हानि हुई। इसलिये इस युद्ध के दौरान ही राष्ट्र संघ से कहीं अधिक प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की गई। अतः भावी पीढ़ियों को युद्ध की विभिन्निका से बचाने के लिये 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई।

संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास (Evolution of UNO)

प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन, 1899 में द हेग (नीदरलैंड) में हुआ जिसका उद्देश्य संकटों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने, युद्धों को रोकने और युद्ध के नियमों को संहिताबद्ध करने के लिए दस्तावेजों को विस्तृत करना था इस आघार पर हेग में स्थायी न्यायालय स्थापित किया गया जिसने 1902 में काम करना शुरू किया। राष्ट्र संघ की विफलता के पश्चात् 'सुरक्षा सिद्धान्त' को महत्व देते हुए अन्तर्राष्ट्रीय शांति संगठन स्थापित करने के प्रयास तेज हो गये। सुरक्षा सिद्धान्त के आघार पर ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य सामूहिक सुरक्षा स्थापित करना है।

लंदन सम्मेलन (जून, 1941) :-

12 जून 1941 को लंदन में ग्रेट ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, कनाडा, आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, पोलैंड युनान, दक्षिण अफ्रीका आदि राष्ट्रमंडलीय देशों ने शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का सुझाव दिया और एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए, जिससे यह निश्चित किया गया कि हस्ताक्षरकर्ता देश आपस में तथा अन्य स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ युद्ध और शांति दोनों में साथ मिलकर काम करेंगे।

अटलांटिक चार्टर (14 अगस्त, 1941) :-

एक नई विश्व संस्था स्थापित करने के उद्देश्य से 14 अगस्त 1941 को अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री विस्टन चर्चिल अटलांटिक महासागर में कही एक जहाज पर मिले उन्होंने एक संयुक्त घोषणा कि जिसे अटलांटिक चार्टर कहते हैं। इस चार्टर पर दोनों नेताओं ने हस्ताक्षर किये। इस चार्टर का उद्देश्य दोनों देशों के अतिरिक्त अन्य राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना था। ई.एच. कार ने अपनी पुस्तक 'दो विश्व युद्धों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय संबंध' में कहा है कि यह चार्टर संयुक्त राष्ट्र संघ की रचना की दिशा में पहला कदम था।

संयुक्त राष्ट्र घोषणा (1-2 जनवरी, 1942) :-

1-2 जनवरी, 1942 ईस्वी की वाशिंगटन में संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत संघ, चीन एवं धुरी शक्तियों के विरुद्ध लड़ रहे सहयोगी राष्ट्र अटलांटिक चार्टर को सहमति प्रदान करने तथा संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु इकट्ठे हुए। 26 राष्ट्रों के संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पर हस्ताक्षर करते हुए अटलांटिक चार्टर को स्वीकार किया। इसके पश्चात 11 दिसम्बर 1941 को धुरी राष्ट्रों ने अपनी त्रि-राष्ट्रीय समझौते की पुष्टि करते हुए युद्ध के बाद एक नई व्यवस्था स्थापित करने

की घोषणा की इसके जवाब में मित्र राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्रों की घोषणा जारी की। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के आग्रह पर धुरी राष्ट्रों से संघर्षरत राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र नाम दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग “डिक्लेरेशन बाई यूनाइटेड नेशन्स” (संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषणा) में 1 जनवरी 1942 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही किया गया था।

मास्को घोषणा (अक्टूबर, 1943) :-

यह सम्मेलन 30 अक्टूबर 1943 को मास्को में हुआ। जिसमें विश्व में शांति व सुरक्षा बनाये रखने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। मास्को सम्मेलन में संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, सोवियत संघ और चीन ने घोषणा पर हस्ताक्षर करके यह निश्चित किया कि “अपने देशों और दूसरे साथी मनुष्यों की स्वतंत्रता को आक्रमण के भय से सुरक्षित करने के उद्देश्यायित्वों को पहचान कर युद्ध को शीघ्र समाप्त कर और हथियारों पर कम से कम व्यय करके अन्तर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था की आवश्यकताओं को पहचान कर वे यह घोषणा करते हैं। उन्होंने शत्रुओं के विरुद्ध जो संयुक्त कार्य किए हैं उस तब तक करते रहेंगे जब तक शांति और सुरक्षा स्थापित न हो जाए।” ई.एच. कार के अनुसार “इस निर्णय के आधार पर ही वास्तव में आगे चलकर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई।” वास्तव में एक घोषणा में राष्ट्र संघ के उद्देश्यों का शिलान्यास किया गया।

तेहरान सम्मेलन (नवम्बर-दिसम्बर, 1943) :-

तेहरान सम्मेलन 1 दिसम्बर 1943 को ईरान की राजधानी तेहरान में बुलाया गया। इस सम्मेलन का महत्व अधिक था। क्योंकि इसमें दोनों महाशक्तियों ने एक साथ हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, रूस के प्रधानमंत्री स्टालिन तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने हिस्सा लिया। 1 दिसम्बर 1943 को अमेरिका, ब्रिटेन व रूस तीनों देशों के राज्याध्यक्षों ने हस्ताक्षर किये।

उम्बार्टन शीकस सम्मेलन (अक्टूबर, 1944) :-

21 अगस्त से 7 अक्टूबर, 1944 के बीच अमेरिका के वाशिंगटन के उम्बार्टन शीकस भवन में दो भागों में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। पहले भाग में अमेरिका, ब्रिटेन और रूस के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया और दूसरी बार दो महीने के पश्चात पहली बार विश्व के तीन महान नेता स्टालिन, रूजवेल्ट और चर्चिल तेहरान में पहली बार एक दूसरे से मिले और तीनों ने स्थायी शांति की स्थापना करने व उसको बनाये रखने के लिए दृढ़ संकल्प प्रकट किया। दूसरी बार 7 अक्टूबर, 1944 को रूस के स्थान

पर चीन का प्रतिनिधि शामिल हुआ इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख श्रृंगों की रूपरेखा तैयार की गई।

याल्टा सम्मेलन (4-11 फरवरी, 1945) :-

विश्व के तीन सबसे बड़े नेताओं स्टालिन, रूजवेल्ट और चर्चिल 4 से 11 फरवरी, 1945 को सोवियत संघ के अधिकार वाले क्रीमिया में दूसरी बार एकत्रित हुए। इससे पहले 1 दिसम्बर 1943 को तेहरान सम्मेलन में मिले थे। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन, उसकी सदस्यता एवं प्रकृति पर विचार किया गया। इस सम्मेलन में उम्बार्टन शोकस सम्मेलन की उन सभी बातों पर निर्णय लिया गया, जिन पर मतभेद थे। इस सम्मेलन में सुरक्षा परिषद के 5 स्थाई सदस्यों और उनके निषेधाधिकार का निर्णय लिया गया और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन 25 अप्रैल, 1945 को बुलाया निश्चित किया गया।

सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन (25 अप्रैल से 26 जून, 1945) :-

संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को अंतिम रूप देने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 25 अप्रैल, 1945 को एक सम्मेलन शुरू हुआ जिसमें 50 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट का निधन हो जाने के कारण नये राष्ट्रपति ट्रुमेन ने उद्घाटन किया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता लार्ड हैलीफैक्स ने की।

इस सम्मेलन में भारत भी शामिल था। भारत की ओर से विदेश सचिव गिरिजा शंकर वाजपेयी ने भाग लिया। दूसरे प्रतिनिधि मण्डल के रूप में श्रीमति विजयलक्ष्मी पंडित ने भाग लिया। इसमें संयुक्त राष्ट्र का चार्टर तैयार किया गया। इस चार्टर पर 26 जून, 1945 को विश्व के 50 देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किये। कुछ माह पश्चात पोलैंड ने इस पर हस्ताक्षर किए और वह भी मूल सदस्य बन गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की मूल सदस्य संख्या 51 थी। 10 फरवरी, 1946 को लंदन के वेस्ट मिनिस्टर हॉल में संयुक्त राष्ट्र संघ की काम सभा की बैठक हुई। इस बैठक में संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न पदाधिकारियों का चुनाव हुआ।

संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर (UNO Charter) :-

चार्टर का प्रारूप 14 अगस्त, 1941 को तैयार किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर (विधान) को 26 जून, 1945 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में स्वीकार किया गया। इस चार्टर के प्रावधानों

को अन्तिम रूप देकर 31 पर 51 देशो ने हस्ताक्षर किये । इस चार्टर में कुल 111-अनुच्छेद, 19 अध्याय, राष्ट्र संघ की प्रसंविदा में कुल 26 धाराएँ, 10,000 शब्द शामिल हैं । चार्टर में संयुक्त राष्ट्र की संगठन, कार्यप्रणाली, उद्देश्य आदि की विशुद्ध जानकारी मिलती है। यह चार्टर 24 अक्टूबर, 1945 को लागू हुआ ।

उद्देश्य :-

- अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा बनाए रखना ।
- मानवाधिकारों को बढ़ावा देना ।
- वैश्विक समस्याओं को हल करने के लिए साझा प्रयास करना ।
- विश्व में आर्थिक, सामाजिक, और राजनीतिक सहयोग स्थापित करना ।

UN की संरचना :-

1. महासभा (General Assembly)
2. सुरक्षा परिषद (Security Council)
3. सचिवालय (Secretariat)
4. आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (Economic & Social Council)
5. अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice)
6. न्यास परिषद (Trusteeship Council)

1. महासभा (General Assembly) :-

- यह मुख्य चर्चा करने वाली संस्था है ।
- इसके द्वारा गैर-बाध्यकारी प्रस्ताव पारित किए जा सकते हैं ।
- इसके द्वारा चुनाव का कार्य भी किया जाता है -

जैसे:-

1. नए सदस्यों को शामिल करना ।
2. सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव
3. महासचिव का चुनाव
4. आर्थिक व सामाजिक परिषद के सभी सदस्यों का चुनाव
5. अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के सभी न्यायाधियों का चुनाव

- UN का बजट महासभा के द्वारा पारित किया जाता है ।
- सभापति सदस्य देशों में से ही एक वर्ष के लिए चुना जाता है ।
- सितम्बर माह में इसकी एक (वार्षिक) बैठक आयोजित की जाती है ।

2. सुरक्षा परिषद (Security Council) :-

- यह UN की सबसे शक्तिशाली संस्था है जो कि अन्तरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए बाध्यकारी प्रस्ताव पारित कर सकती है ।
- इसके पास सैन्य हस्तक्षेप तथा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार होता है ।
- कुल सदस्य 15 हैं जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं ।

स्थायी सदस्य :-

1. USA

2. UK

3. France

4. China

5. Russia

- 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव 2 वर्षों के लिए क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है ।
- 5 सदस्य एशिया और अफ्रीका से, 2 सदस्य पश्चिमी यूरोप, 1 सदस्य पूर्वी यूरोप तथा 1 सदस्य लेटिन अमेरिका से हैं ।
- स्थायी सदस्यों को वीटो शक्ति दी गई है अर्थात् कोई भी निर्णय इन सभी देशों की सहमति के बिना नहीं लिया जा सकता है ।

3. सचिवालय (Secretariat) :-

मुख्यालय - न्यूयॉर्क

- यह UN की नौकशाही है ।
- इसका कार्य है बैठकों का आयोजन करना निर्णयों को लागू करना, रिपोर्ट जारी करना, बजट तैयार करना ।
- इसके प्रमुख को महासचिव कहा जाता है ।
- कार्यकाल 5 वर्ष
- वर्तमान महासचिव एन्टोनियो गुतेरेश (पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री)

4. आर्थिक एवं सामाजिक परिषद :-

सदस्य - 54

कार्यकाल - 3 वर्ष

- विश्व में आर्थिक व सामाजिक सहयोग स्थापित करना है ।
- UN के सम्बन्धित विशेषीकृत एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करता है -
जैसे -

a) विश्व बैंक

b) IMF

c) WHO

d) विश्व मौसम संगठन

e) UNESCO

f) खाद्य एवं कृषि संगठन आदि

- कुछ आयोग भी बनाए गए हैं जैसे - जनसंख्या नियंत्रण, महिला शक्तिकरण, शतत विकास आदि ।

5. अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय :-

मुख्यालय - हेग (नीदरलैंड)

न्यायाधीश - 15

कार्यकाल - 9 वर्ष

- कार्य - विवादों का निपटारा और कानूनों की व्याख्या
- भारत की तरफ से वर्तमान में दलवीर सिंह भण्डारी न्यायाधीश हैं ।
- सभी स्थायी देशों से 1-1 न्यायाधीश निर्वाचित तथा लैटिन अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका व एशिया महाद्वीपों को योजना में प्रतिनिधित्व

6. न्याय परिषद :-

- 1994 ई. में निष्क्रिय है । (पलाऊ के स्वतंत्र होने के बाद)
- पूर्व में मेण्डेट व्यवस्था के क्षेत्र इसके अधीन थे ।

UN की सफलताएँ :-

1. तीसरे विश्व युद्ध को रोकने में सफल रहा है ।
2. अन्तर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखने के लिए UN के द्वारा अब तक 72 शांति मिशन भेजे गए हैं-
जैसे- सोमालिया, सूडान, कोंगो, यूगांडा, खांडा, कोरियाई युद्ध आदि ।
3. मानवाधिकारों को प्रचारित किया गया ।
4. 10 दिसम्बर 1948 ई. को मानवाधिकार की घोषणा-पत्र जारी किया गया । इसलिए 10 दिसम्बर को अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है ।
5. नाभिकीय शक्ति के प्रसार को रोकने के लिए NPT और CTBT जैसी सन्धियों की गई ।
6. जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए पृथ्वी सम्मेलन (1992) Kyoto Protocol (1997), पेरिस सन्धि (2015) किया गया ।
7. सदस्य देशों में लोकतंत्र की स्थापना के लिए कार्य किए गए ।
8. मानव विकास को सुनिश्चित करने के लिए मानव विकास रिपोर्ट (HDI) और मानव विकास सूचकांक (HDI) जारी किए जाते हैं ।
9. विश्व के विकास की दिशा निर्धारित करने के लिए सतत विकास लक्ष्य (SDG) बनाए गए हैं ।
(17 – Goals, 169 - Targets)

UN की असफलताएँ :-

1. शीतयुद्ध के काल में गुटवाद, शस्त्रीकरण और सैन्यीकरण को बढ़ावा दिया गया ।
2. UN शीतयुद्ध को रोकने में असफल रहा ।
3. UN स्वयं का लोकतंत्रीकरण करने में असफल रहा ।
4. अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका का कोई भी प्रतिनिधि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य नहीं है ।
5. आतंकवाद के विरुद्ध सशक्त कार्यवाही करने में असफल रहा, यहां तक की आतंकवाद को परिभाषित भी नहीं कर सका है ।
6. सुरक्षा परिषद के सैन्य हस्तक्षेपों का प्रयोग शक्तिशाली देशों की राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए किया जाता है ।
जैसे - लीबिया में सैन्य हस्तक्षेप